न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर
(जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 293/2025
जीसीएमएस नं. :– 2025/360

प्रार्थीगण :–
1. गजेन्द्र पुत्र जगतम्बा जाति महाजन (सिंघवी) निवासी सिंघ पोल जोधपुर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री मो. फारूख खान–प्रार्थी की ओर से
तहसीलदार पीपाड़ शहर–अप्रार्थी

दर्ज दिनांक :–11/08/2025

निर्णय

दिनांक :– 07/04/2026

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम चौकडी खुर्द पटवार हल्का चौकडी खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौकड़ी कल्ला तहसील पीपाड शहर में स्थित खसरा नम्बर पुराना 240 रकबा 1.2135 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ स्थित है जो वर्तमान सेटेलाइट सेटलमेन्ट में नया खसरा नम्बर 1023 रकबा 0.3761 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1026 रकबा 0.1937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1160 रकबा 0.5965 हैक्टेयर जो खतौनी के खाता संख्या नया 14 व पुराना 14 पर इन्द्राज है। जिसकी जमाबदी व नक्शे की सम्वत 2081 की प्रतिलिपी साथ में सलंग्न है। प्रार्थी के उपर वर्णित खसरा नम्बर पुराना सम्वत 2075 से 2078 की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 240 जिसका रकबा 1.2135 हेक्टेयर है। उक्त खसरे बाबत् प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर में एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 166/2023 गजेन्द्र बनाम तहसीलदार पीपाड शहर के अनवान से अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत खसरा नम्बर 240 के चारों तरफ पत्थरगढी करवाने हेतू पेश किया था जिसमें न्यायालय ने आदेश दिनांक 09.12.2023 को प्रार्थी के खातेदारी खसरे का नाप चोप व पत्थरगढ़ी करने के आदेश सम्बन्धित तहसीलदार पीपाड शहर को दिया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर की पालना में तहसीलदार पीपाड शहर द्वारा वाद संख्या 166/23 की पेमाईश करवाने तथा भूमि पर मुटाम स्थापित करने हेतू टीम गठित कर फर्द मौका सीमाकंन दिनांक 16.08.2023 को तहसीलदार पीपाड शहर ने सीमाकन करवाया था। तत्पश्चात मौका फर्द पत्थरगढी दिनांक 01.04.2024 को

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर 224 की पत्थरगढी करवाई थी। उस वक्त प्रार्थी के उक्त खसरे का रकबा 1.2135 हैक्टेयर था। प्रार्थी के पुराना खसरा नम्बर 240 जो एक ही चक में स्थित था जिसके उत्तर पश्चिम में आम सड़क स्थित है। उक्त आम सडक के पूरब व दक्षिण में प्रार्थी के सहखातेदारी की कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 240 स्थित है जो फर्द मौका सीमांकन व फर्द मौका पत्थरगढी से प्रथम दृष्टया साबित होती है। अभी हाल ही में वर्तमान सेटेलाईट सेटलमेन्ट में प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर पुराना 240 के तीन टुकडे कर नये खसरा नम्बर 1023, 1026 व 1160 कर दिये हैं। वर्तमान में खसरा नम्बर 1023 व 1160 के बीच में से डामर सडक निकलती है एवं सेटेलाइट सेटलमेन्ट विभाग ने अनदेखी करते हुए प्रार्थी के मूल खसरे में से एक अन्य खसरा 1026 भी स्थापित किया है। खसरा नम्बर नया 1160 व 1026 के बीच में रास्ता दर्शाया है। जबकि प्रार्थी के सहखातेदारी पुराना खसरा नम्बर 240 के मध्य डामर सडक चलायमान है। डामर सडक होते हुए सेटेलाईट सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर नया 1160 व 1026 के मध्य रास्ता दर्शाया है जिससे प्रार्थी के एक ही चक के तीन टुकडे किये हैं जबकि प्रार्थी के साथ साथ अन्य सहखातेदार भी उक्त कृषि भूमि में खातेदार है। भविष्य में प्रार्थी अपनी खातेदारी खेतों का बंटवाडा व तरमीम करवायेगा तो प्रार्थी के उक्त कृषि भूमि काश्तकार्य करने हेतू पर्याप्त नहीं रहेगी। वर्तमान सेटेलाइट सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सम्वत 2081 में प्रार्थी के खातेदारी खेत के खसरा नम्बर नया 1023 1026, 1160 बनाये हैं। जिनका सामलाती रकबा 1.1663 हैक्टेयर अंकित किया है जबकि वास्तविकता में प्रार्थी के खातेदारी खेत का रकबा पूर्व रेकर्ड में 1.2135 हैक्टेयर अंकित था एवं रेकर्ड अनुसार मौके पर कब्जा काश्त भी प्रार्थी के साथ साथ अन्य सहखातेदारान कर रहा है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2081 व नक्शा सम्वत् 2081 में प्रार्थी के खेत के बीच में से डामर सडक होते हुए भी एक अन्य रास्ता दर्शाया है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 1026 व 1160 के मध्य दर्शाया है उक्त रास्ते को राजस्व वर्तमान नक्शे में दर्शाया है जिससे प्रार्थी के साथ साथ अन्य सहखातेदारान को भारी क्षति होगी जिसका आकलन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकता। उक्त रास्ते से प्रार्थी व प्रार्थी के साथ साथ अन्य सहखातेदारान में वाद विवाद होने की सम्भावना रहेगी। इसलिए खसरा नम्बर 1026 व 1160 के मध्य जो रास्ता दर्शाया है उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर तरमीम दुरूस्त की जावे एवं राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। इस बाबत प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बावत तरमीम शुद्धि य रेकर्ड शुद्धि का प्रस्तुत है। प्रार्थी के द्वारा पूर्व में दिनांक 24.04.2025 को तहसीलदार पीपाड शहर को इसी आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर तहसीलदार पीपाड़ शहर ने संबंधित हल्का पटवारी चौकड़ी खुर्द को मौके की वास्तविक स्थिति मंगवाने बाबत आदेश दिया जिस पर हल्का पटवारी चौकड़ी खुर्द ने दिनाांक 30.04.2025 को अपनी रिपोर्ट तहसीलदार पीपाड

उपखण्ड अधिकारी

को मय मौका फर्द बनाकर पेश की जिसमें भी स्पष्ट रूप से हल्का पटवारी ड़ी खुर्द ने रेकर्ड दुरूस्त व तरमीम दुरूस्त करने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार पीपाड हर को पेश की है। अत राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सम्वत 2081 के सेटेलाईट सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 1026 व 1160 के मध्य जो रास्ता दर्शाया गया है। उसको राजस्व नक्शे से हटाकर तरमीम दुरूस्त करने एवं पुनः प्रार्थी के खसरा संख्या पुराना 240 में अंकित रकबा 1.2135 हैक्टेयर पूर्व राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज किया जाकर रकबा व तरमीम पूर्व रेकर्ड कायम कर तरमीम व रेकर्ड दुरूस्त का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम चौकड़ीखुर्द की जमाबंदी सम्वत 2075–78 में खाता संख्या 14 मे खसरा संख्या 240 रकबा 1.2135 हैक्टेयर प्रार्थी एवं इनके सहखातेदार के नाम दर्ज है। हाल ही में सर्वे रिसर्वे(सेटेलाईट सेटलमेन्ट) में उक्त पुराने खसरा सख्या 240 के 3 नये खसरे 1023 रकबा 0.3761 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1026 रकबा 0.1937 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1160 रकबा 0.5965 हैक्टेयर दर्ज कर दिये जो नई जमाबदी सम्वत् 2081 के खाता संख्या 14 में दर्ज है। वर्णित खसरे का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के आदेश दिनांक 09/12/2023 की पालना में दिनांक 16/08/2023 को प्रार्थी की उपस्थिति में खसरा संख्या 240 रकबा 1.2135 का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाई गई। खसरा संख्या 240 सर्वे रिसर्वे से पूर्व एक ही चक में स्थित था जिसके उत्तर–पश्चिम में आम सड़क बनी हुई है। सर्वे रिसर्वे मे प्रार्थी के पुराने खसरा संख्या 240 के तीन टुकड़े करते हुए नये खसरा नम्बर 1023, 1026 व 1160 कर दिये । चूंकि मौके पर खसरा संख्या 1023 व 1160 के मध्य प्रार्थी के खेत में से मौके पर डामर सड़क बन जाने से उक्त खसरे के दो टुकड़े होना स्वभाविक है, जबकि खसरा संख्या 1160 के पश्चिम तरफ नया रास्ता खसरा संख्या 1135 दर्ज कर प्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 1160 के साथ–साथ खसरा संख्या 1026 अन्य खसरा दर्ज कर दिया जबकि मौके पर एवं पुराने खसरा संख्या 240 के पश्चिम दिशा में रास्ता है एवं वर्तमान में चालू है। वर्तमान में खसरा संख्या 1135 गै मु रास्ता को मौका एवं पुराने नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1026 के पश्चिमी तरफ दर्ज कर खसरा संख्या 1160 व 1026 को एक ही चक में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने बहस पक्षकारान सुनी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चौकड़ीखुर्द सम्वत 2081 के सेटेलाईट सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 1026 व 1160 के मध्य जो रास्ता दर्शाया गया है, उसको राजस्व नक्शे से हटाकर तरमीम दुरूस्त करने एवं पुनः प्रार्थी के खसरा संख्या पुराना 240 में अंकित रकबा 1.2135 हैक्टेयर पूर्व राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज किया जाकर रकबा व तरमीम पूर्व रेकर्ड कायम कर तरमीम व रेकर्ड दुरूस्त करने का आदेश फरमावे। तहसीलदार पीपाड़ शहर ने भी वर्तमान में खसरा संख्या 1135 गै मु रास्ता को मौका एवं पुराने नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1026 के पश्चिमी तरफ दर्ज कर खसरा संख्या 1160 व 1026 को एक ही चक में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई।

आदेश

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, वकील प्रार्थी द्वारा बहस में बताये बिन्दुओं एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम चौकड़ीखुर्द के वर्तमान में खसरा संख्या 1135 गै मु रास्ता को मौका एवं पुराने नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1026 के पश्चिमी तरफ दर्ज कर खसरा संख्या 1160 व 1026 को एक ही चक में दर्ज किया जाकर नाप चौप करवा कर तरमीम दुरूस्त की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जवाब 7293/30.10.2025 को आदेश का भाग समझा जावें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 07/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर